भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 1671
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधि

1671. श्रीमती जसकौर मीना:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वदेश दर्शन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ख) राजस्थान सहित देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत देश में जनजातीय और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पहल की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूरे देश में उक्त योजना के अंतर्गत और कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीमैटिक परिपथों के विकास के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में अपनी स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस) शुरू की थी । अब तक, पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान सहित देश में एसडीएस के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, स्वीकृति, निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों सहित जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है । कुल स्वीकृत 76 परियोजनाओं में से 59 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण हो गई हैं ।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय और ग्रामीण पर्यटन अभिज्ञात थीम है । पर्यटन मंत्रालय ने देश में जनजातीय परिपथ में 371.47 करोड़ रुपये से 4 परियोजनाएं और ग्रामीण परिपथ में 124.64 करोड़ रुपये से 2 परियोजनाएं स्वीकृत की है ।

पर्यटन मंत्रालय ने अब सतत और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों का विकास करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है । पर्यटन मंत्रालय एसडी 2.0 के तहत देश में विकास के लिए गंतव्यों को चिह्नित कर रहा है ।

*****

अनुबंध

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधि के संबंध में दिनांक 13.02.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 1671 के भाग (क) से (च) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं, जारी निधियां और उपयोग की गई राशि का विवरण ।

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं	राज्य / संघ शासित प्रदेश	स्वदेश दर्शन			
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि*	उपयोग की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	3	141.53	139.74	142.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49	139.16	124.05
3.	असम	2	185.66	176.36	175.95
4.	बिहार	5	262.73	248.06	234.98
5.	छत्तीसगढ	1	96.10	94.23	94.23
6.	गोवा	2	197.00	187.14	187.14
7.	गुजरात	3	176.22	165.74	161.26
8.	हरियाणा	1	70.91	77.88	69.53
9.	हिमाचल प्रदेश	1	68.34	64.55	60.80
10.	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	6	519.59	434.51	387.44
11.	झारखंड	1	30.11	26.37	16.37
12.	केरल	5	343.84	204.63	184.28
13.	मध्य प्रदेश	4	349.70	337.63	328.88
14.	महाराष्ट्र	2	73.02	50.15	38.49
15.	मणिपुर	2	117.57	104.36	104.16
16.	मेघालय	2	184.10	166.36	145.12
17.	मिजोरम	2	158.63	141.79	139.77
18.	नागालैंड	2	195.50	185.73	185.73
19.	ओडिशा	1	70.82	63.56	56.93
20.	पंजाब	1	94.51	67.14	52.06
21.	राजस्थान	4	283.47	255.16	248.34
22.	सिक्किम	2	193.37	187.96	177.95
23.	तमिलनाडु	1	73.13	69.48	69.48
24.	तेलंगाना	3	268.39	237.52	240.60
25.	त्रिपुरा	2	127.68	91.67	79.72
26.	उत्तर प्रदेश	8	488.22	445.08	419.19

27.	उत्तराखंड	2	145.49	136.79	138.11
28.	पश्चिम बंगाल	1	67.99	65.07	65.07
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27.57	20.89	14.51
30.	पुदुचेरी	3	142.84	135.08	132.95
31.	मार्गस्थ सुविधाएं उत्तर प्रदेश और बिहार	1	15.07	14.32	14.16
	कुल	76	5315.59	4734.11	4490.19

* नई वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार सीएनए को जारी की गई राशि शामिल है

*****